

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

**पंचायत निगरानी संख्या: 32/2024**

**प्रार्थी**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला- सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री सौदाराम पुत्र पूराराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”  
उपस्थिति:**

- 1 प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।
- 2 अधिवक्ता श्री मदन सिंह रावल, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

**—: निर्णय :-**

**दिनांक 30 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी सौदाराम पुत्र पूराराम जी, निवासी-पोसालिया के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06-12-2021 एवं इसके अनुसरण में क्षेत्रफल 1824 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 07-12-2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह रावल उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का जवाब बन्द किया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 20-6-2025 को प्रार्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 20-6-2024 को बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना आवासीय मकान बना हुआ है जिस पर पट्टा जारी करने के समय मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) अपने परिवार सहित निवास कर रहा था। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा अपने पुराने आवासीय गृह का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, पोसालिया में आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त प्रावधानों व प्रक्रियां का पालन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवासीय गृह का नियमन करके नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी श्री सौदाराम पुत्र पूराराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- पोसालिया के हक में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06-12-2021 के अनुसरण में ...पेज दो पर

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरोही (राज.)**

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1824 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 07-12-2021 को जारी किया गया है। "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

इस संबंध में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक:पंसशि/पंचायत/लोकायुक्त प्रकरण/2022-23/200 दिनांक 30-01-2024 के सारांश में यह उल्लेख किया हुआ है कि मौके अनुसार पट्टे के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग आवासीय आधा भाग में वाणिज्य प्रयोजनार्थ लोहे का कारखाना संचालित हो रहा है। इस प्रकार, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 30-01-2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी सौदाराम पुत्र पूराराम जी मेघवाल के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे की भूमि के आधे भाग का ही आवासीय उपयोग हो रहा है एवं आधा भाग पर लोहे का कारखाना संचालित हो रहा है अर्थात् उक्त पट्टे में अंकित क्षेत्रफल के आधे भाग की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवासीय गृह की भूमि के ही नियमन का प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी सौदाराम पुत्र पूराराम जी मेघवाल को आवासीय उपयोग की भूमि के अलावा गैर आवासीय वाणिज्यिक उपयोग की भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी श्री सौदाराम पुत्र पूराराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी- पोसालिया के पक्ष पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06-12-2021 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 07-12-2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम हीकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)